6

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल
प्रधान पीठ,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।

पत्रांकः 1132 /खनिज अनुभाग–23 दिनांकः 21 फरवरी, 2023

विषय ओ0ए0 सं0–485/2022 गौतम शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य के मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10.11.2022 को ओ0ए0 सं0–485/2022 गौतम शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य के मामले में सुनवाई के दौरान पारित निर्देश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की ओर से अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष अवलोकन करने के लिए प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ सादर संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोक्त।

21.2.23

(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी, बिजनौर।

६

ओ0ए0 485 / 2022

गौतम शर्मा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 10.11.2022 के

अनुपालन में जिलाधिकारी, बिजनौर की ओर से आख्या

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

जिलाधिकारी
बिजनौर

समक्षः— राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली

ओ0ए0न0:— 485/2022

गौतम शर्मा बनाम राज्य उत्तर प्रदेश आदि

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांकित 10.11.2022 के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त समिति की रिर्पोट पर आख्याः—

01. यह कि गाटा संख्या 2/102 रकबई 1.215 हे0 स्थित ग्राम शाहअलीपुर कोटरा तहसील नगीना जिला बिजनौर पर 6माह की अवधि के लिए ई0टेण्डर के माध्यम से परमिट मै0 ब्रजबाला इन्फ्राटेक लि0 को समयावधि दिनांक 3.1.2022 से दिनांक 30.6.2022 तक स्वीकृत किया गया था।

02. यह कि परमिट शर्तो एवं पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तो/अनुबन्धों का भंग साबित पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त आंबटन आदेश 3.1.2022 को अपने आदेश दिनांक 12.5.2022 द्वारा निरस्त कर दिया गया एवं मै0 ब्रजबाला इन्फ्राटेक पर जुर्माने की धनराशि रू 37,59,200 अधिरोपित कर देयता निधार्रित करते हुए अवशेष धनराशि अंकन 27,14,061रू के लिए आदेश दिनांकित 12.5.2022 के परिपेक्ष्य में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। आदेश दिनांकित 12.5.2022 की प्रति **संलग्न—1** है।

03. यह कि गाटा संख्या 70मि0 रकबई 1.264हे0 स्थित ग्राम अबुल फजलपुर पहाणा तहसील नगीना जिला बिजनौर पर 6 माह की अवधि के लिए ई0टेण्डर के माध्यम से परमिट मै0 जयन्त इन्फ्राटेक लि0 को समयावधि दिनांक 3.1.2022 से दिनांक 30.6.2022 तक स्वीकृत किया गया था।

04. यह कि इस आंबटन की समयावधि दिनांक 30.6.2022 को समाप्त हो चुकी है।

05. यह कि संयुक्त जॉच कमेटी को निरीक्षण के समय क्षेत्र में अवैध खनन होता प्राप्त नही हुआ है।

06. यह कि गाटा संख्या 2/102 स्थित ग्राम शाहअलीपुर कोटरा एवं गाटा संख्या 70मि0 स्थित ग्राम अबुलफजलपुर पहाडा का संयुक्त टीम उपजिलाधिकारी नगीना, क्षेत्राधिकारी पुलिस नगीना एवं खान निरीक्षक बिजनौर द्वारा दिनांक 20.2.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें कोई खनन गतिविधियां होनी नही पायी गयी जिसके फोटाग्राफ मय जियो कोर्डिनेट **संलग्न—2** है।

आख्या सादर प्रस्तुत।

दिनांकः—21.02.2023

21.2.23

जिलाधिकारी

21022023

MUKESH TYAGI
DGC CIVIL BIJNOR
R. No. 1635/04
Mob. No. 9719462899

3

निरीक्षण आख्याः— मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 485/2022 गौतम शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार के सम्बन्ध में

....

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 485/2022 गौतम शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार के मामले में पहला निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 12.10.2022 को किया गया था और संयुक्त आख्या मा0 अधिकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा ई–मेल के माध्यम से दिनांक 03.11.2022 को दाखिल की गयी थी। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 485/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 के अनुपालन में कार्यालय पत्रांक 1125/खनिज अनुभाग–23 दिनांक 17.02.2023 के क्रम में दिनांक 20.02.2023 को तहसील नगीना के ग्राम शाहअलीपुर कोटरा के गाटा सं0 2/102 क्षे0 1.215 हे0 व ग्राम अबुलफजलपुर पहाडा के गाटा सं0 70मि क्षे0 1.264 हे0 भूमि पर खनन की गतिविधियों के सम्बन्ध में पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उक्त स्थलो पर खनन कार्य बन्द पाया गया। स्थलीय निरीक्षण/मौके के जियो–कोर्डिनेट्स के साथ फोटोग्राफ संलग्न है।

20/2/23	20/2/23	20/2/23
खान निरीक्षक, बिजनौर।	**क्षेत्राधिकारी (पुलिस) नगीना।**	**उपजिलाधिकारी, नगीना।**

3

Annexure-1.

Photographs during Inspection dated.-20.02.2023 in the Matter of O.A. NO.-485/2022 Gautam Sharma V/S State of Uttar Pradesh.

- Gata no.-2/102, area-1.215 hectares, village-Shahalipur Kotra, Tehsil-Nagina, District-Bijnor

SDM
उपजिलाधिकारी
नगीना (बिजनौर)

क्षेत्राधिकारी नगीना
जनपद-बिजनौर

Annexure-1.

Photographs during Inspection dated.-20.02.2023 in the Matter of O.A. NO.-485/2022 Gautam Sharma V/S State of Uttar Pradesh.

- Gata no.- 70 mi, area – 1.264 hectare, village - Abulfazalpur Pahara, Tehsil-Nagina, District-Bijnor

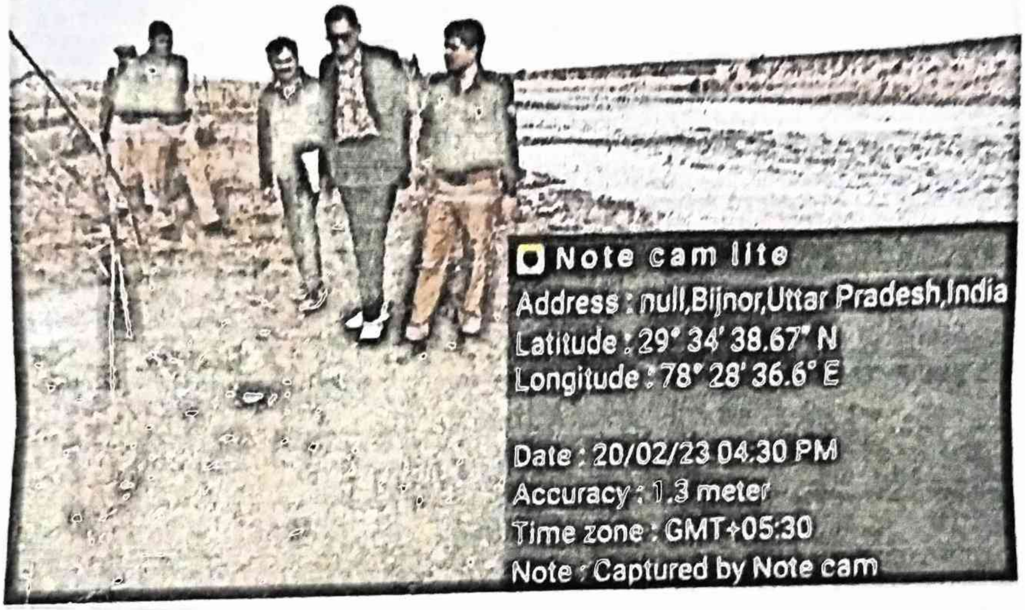

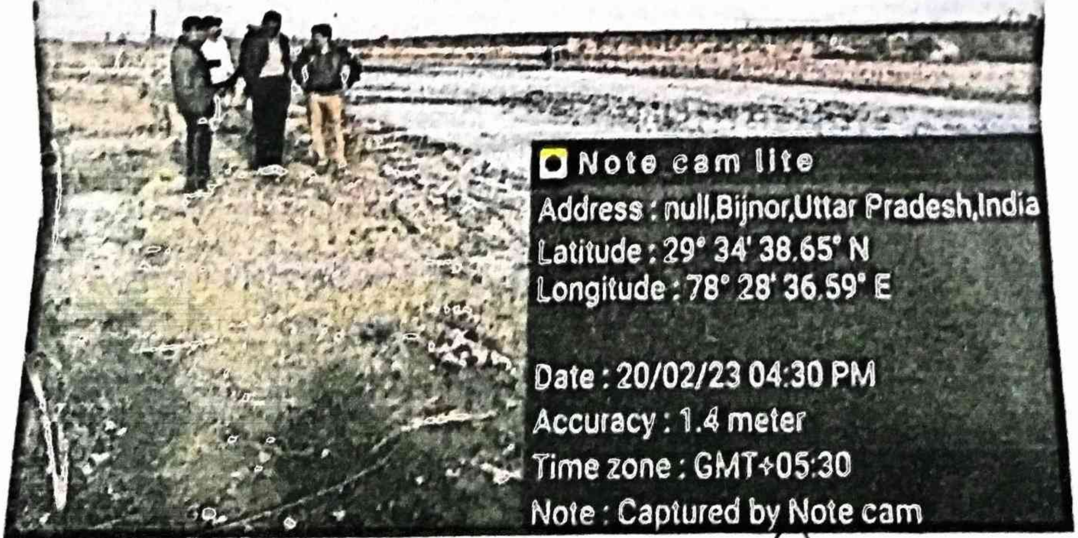

उपजिलाधिकारी
नगीना (बिजनौर)

क्षेत्राधिकारी नगीना
जनपद-बिजनौर